न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 13/2022 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाक:–04.04.2022
निर्णय दिनाक:–12.05.2025

अनवान

1– श्री छगन पिता खेमजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी डामोरवाडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी –
अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भुमि मौजा डामोरवाडा प.ह. सरोदा मे खाता संख्या 16/16 कुल खसरा 23 कुल रकबा 2.7091 हेक्टर की स्थित है उक्त खाते के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम हुका पिता खेमजी त्रूटी वश दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पहचान व पते के दस्तावेज राशन कार्ड,आधार कार्ड व लाईट बिल आदि मे प्रार्थी का वास्तविक नाम छगन पिता खेमजी अकिंत है। राजस्व अधिकारीयो के द्वारा त्रूटी वंश उक्त खाते मे प्रार्थी का वास्तविक नाम छगन के स्थान पर हुका अकिंत कर दिया है। वादग्रस्त खाते मे प्रार्थी का सही नाम छगन अकिंत किए जाने पर सहखातेदारो कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये। सम्मन तामिल पर के द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई। वादी/प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी मौजा डामोरवाडा प.ह. सरोदा मे खाता संख्या 16/16 कुल खसरा 23 कुल रकबा 2.7091 हेक्टर में खातेदार हुका, वासु, जिजा, रतना, रेखा, नानु पिता खेमजी 6/30, कलजी पिता कानजी 1/5, गोतम पिता कानजी 1/5, रूपा

पिता कानजी 1/5, गटु,नरेश,देवराम पिता रामु 3/15 हि0ब0दर्ज रेकाड्ड है जिसमें प्रार्थी हुका पिता खेमजी का हिस्सा 1/30 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में हुका पिता खेमजी दर्ज है किन्तु प्रार्थी का वास्तविक नाम दस्तावेजो में छगन पिता खेमजी दर्ज है। उक्त खाता संख्या 16 किता 23 रकबा 2.7091 में जरिये नामान्तकरण संख्या 239/24.12.2018 विरासती नामा0दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम छगन पिता खेमजी की जगह हुका पिता खेमजी दर्ज हो गया जोकि दस्तावेज अनुसार गलत दर्ज होना बताया। उक्त खाते मे खातेदार छगन पिता खेमजी दर्ज किया जाता है तो सह खातेदारों को कोई आपत्ति नही होना पाया गया। जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 136 में स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में पुर्व की प्रविष्ठीयों में शुद्विकरण न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रविष्ठी सुधारी जा सकती है। अतः हस्तगत प्रकरण में नाम की त्रुटी विरासती नामान्तकरण प्रार्थी स्वंय के द्वारा खुलवाये जाने से प्रार्थी का विरासती नामान्तकरण उक्त खाते मे खोला गया है। जिस कारण उक्त जमाबन्दी में की गई प्रविष्ठीयों में पुर्व की कोई त्रुटी नही है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी स्वंय के द्वारा कराई गई प्रविष्ठियों में सुधार कराने का अधिकारी नही है।

अतः प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चलने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा